कण्डिका क्रमांक – 35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

कोरबा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु राजस्व वन भूमि प्रस्तावित है। कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्र./3492/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 24/11/2016

प्रति,

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :— रिवेन्यु वन/ वन भूमि परिक्षेत्रांतर्गत सड़क समानांतर 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के संबंध में अनुमति प्रदान करने विषयक।

संदर्भ :— आपका पत्र क्र./रिलिइंलि/आफाके/वनभूमि/2016—17 रायपुर दिनांक 01.08.2016

------0000------

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य बाबत् लोक निर्माण विभाग बताती से कुदमुरा के मध्य सड़क के सामानांतर वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति/अनुमति प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी कोरबा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा से प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है —

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर/कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा	वन अधिकार मान्यता प्राप्त धारक का नाम	अन्य विवरण
1	कोरबा	बताती	P1029	0.058	निरंक	वनभूमि
			OA1311	0.024	निरंक	वनभूमि
2	कोरबा	चचिया	P1141	0.009	निरंक	वनभूमि
			P1138	0.006	निरंक	वनभूमि
3	कोरबा	तौलापाली	P1138	0.072	निरंक	वनभूमि
4	कोरबा	कुदमुरा	P1139	0.034	निरंक	वनभूमि
			OA1424	0.031	निरंक	वनभूमि
			OA1425	0.019	निरंक	वनभूमि
5	करतला	करतला	P1034	0.028	निरंक	वनभूमि
	योग			0.281		
6	कोरबा	बताती	349/1	0.004	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
			588/6	0.001		बड़े झाड़ के जंगल
7	कोरबा	गेरांव	301/1	0.009	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
8	कोरबा	कुदमुरा	152/1	0.021	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल

 113

9	कोरबा	तौलापाली	1	0.032	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
			467/1	0.011		बड़े झाड़ के जंगल
			205/1	0.002		बड़े झाड़ के जंगल
10	करतला	करतला	1179/1 क	0.019	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
			1182/1	0.032		बड़े झाड़ के जंगल
			1224/2	0.012		बड़े झाड़ के जंगल
			1224/1			बड़े झाड़ के जंगल
योग				**0.143**		
महायोग				**0.424**		

प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि में वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया गया है और न ही वितरण हेतु लंबित है।

अतः ग्राम करतला, तौलापाली, कुदमुरा, गेरांव, बताती, चचिया में वन भूमि रकबा 0.281 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि रकबा 0.143 हेक्टेयर कुल रकबा 0.424 हेक्टेयर भूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सक्षम विभाग को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि एव वन भूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।
2. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
4. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
5. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
6. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरान्त शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ0ग0 शासन राजस्व विभाग को देय होगी।

(पी. दयानन्द)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ.क्र./3493/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 24/11/2016

प्रतिलिपिः— 1. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार कोरबा/करतला की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)